प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 30 – 6 अगस्त 2018 मूल्य पांच रूपए

संशोधित अधिनियम के बाद भाजपा के आरोप पत्र पर कारवाई की संभावनाएं हुई संदिग्ध

शिमला/शैल। भाजपा के आरोप पत्र पर अभी तक विजिलैन्स ने कोई मामला दर्ज नही किया है। बल्कि जयराम सरकार ने वीबरेज कॉरपोरेशन प्रकरण में जो पहली ही मन्त्री परिषद की बैठक में जांच करवाने का फैसला लिया था उस पर भी कोई केस दर्ज नही हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के तीन सहकारी बैंको में हुई धांधलियों को लेकर केस दर्ज करके जांच करने के जो निर्देश मुख्य सचिव और मुख्यमन्त्री की संस्तुति के बाद गृहविभाग के माध्यम से विजिलैन्स को भेजे थे उस मामले में भी अभी तक कोई कारवाई नही हो पायी है। जबकि इस मामले में तो प्रारम्भिक जांच सरकार के स्तर पर ही कर ली गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश मामले में स्पष्ट कर रखा है जिस भी शिकायत से संज्ञेय अपराध का बोध होता हो उसमें तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर ली जानी चाहिये। यदि किसी कारण से किसी मामले में प्रारम्भिक जांच किये जाने की भी आवश्यकता समझी जाये तो उसमें भी सात दिन के भीतर यह जांच पूरी करके इस बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश सीधे और स्पष्ट है। यदि जांचकर्ता सात दिन के भीतर वाच्छित कारवाई नही करता है तो उसके खिलाफ भी कारवाई किये जाने के निर्देश किये गये हैं।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों के बावजूद विजिलैन्स ने अभी तक किसी भी मामले में कोई ठोस कारवाई नही की है। जबकि भाजपा के आरोप पत्र में संज्ञेय अपराधों का पूरा बोध होता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि विजिलैन्स इन आरोपों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कारवाई क्यों नही कर रही है। क्या विजिलैन्स स्वयं ही पूर्व कांग्रेस सरकार के लोगों के खिलाफ कारवाई नहीं करना चाहती है या फिर सरकार की ओर से ऐसा कोई मौखिक निर्देश है। क्योंकि अब 26 जुलाई से संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम लागू हो गया है। इस संशोधित अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मामलों पर कारवाई करना बहुत आसान नही होगा। क्योंकि इसके तहत मामला स्थापित करने के लिये प्रक्रिया अब सरल नही रह गयी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार या तो किसी स्वार्थ /लालच/लाभ के लिये करता है या फिर नियम/कानून की पूरी समझ न होने के कारण अज्ञान वश करता है। यदि यह भ्रष्टाचार स्वार्थ/लाभ के लिये किया गया है तो अनुचित लाभ देने वाला भी भ्रष्टाचार का बराबर का दोषी हो जायेगा। यदि वह सात दिन के भीतर इसकी शिकायत सक्ष्म अधिकारी के पास नही करता है। ऐसे में बहुत कम लोग होंगे जो काम होने के सात दिन के भीतर ऐसी शिकायत कर पायेंगे और आठवें दिन या बाद में शिकायत करने पर स्वयं भी भ्रष्टाचार के तहत तीन से सात वर्ष की सज़ा के दोषी हो जायेंगे।

ऐसे में भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर कितने लोग सामने आयेंगे यह तो समय ही बतायेगा लेकिन इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा के आरोप पत्र पर अब संशोधित अधिनियम के तहत ही मामले दर्ज करने होंगें संशोधित अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उसे अजंम तक पंहुचाना अब सरल नही होगा क्योंकि उसके लिये बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि भाजपा के आरोप पत्र पर संबधित विभागों से रिपोर्ट लेने की नीति भी इसलिये अपनाई गयी थी ताकि पूराने अधिनियम के तहत मामले दर्ज न करने पड़े। भाजपा ने यह आरोप पत्र विपक्ष में रहते हुए महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा था लेकिन आज सात माह बीत जाने के बाद भी एक भी मामले पर कारवाई न हो पाना सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति नीयत और नीति पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी विजिलैन्स उसके पास आयी शिकायतों पर तय समय सीमा के भीतर वाच्छित कारवाई न करे तो क्या उससे यही निष्कर्ष नही निकाला जायेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल भाषण दिया जाना है और कारवाई नही करनी है। फिर अब तो केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन करके जांच ऐजैन्सीयों की राह और आसान कर दी है। लेकिन इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जयराम सरकार इस आरोप पत्र को लेकर प्रदेश की जनता को क्या जवाब देती है। केन्द्र सरकार भष्ट्राचार निरोधक अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। यह जानकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जांच ऐजैन्सीयों को पहले से ही थी। इससे यह भी स्पष्ट था कि अब मामले नये अधिनियम के तहत ही दर्ज होंगे और इन्हें किसी अन्तिम अंजाम तक पंहुचाना आसान नही होगा। वैसे तो आज तक भ्रष्टाचार को लेकर आरोप पत्र सौपना एक राजनीतिक रस्म अदायगी से अधिक कुछ नही रहा है। लेकिन इससे प्रशासन को डर बना रहता था जो अब संशोधित अधिनियम से काफी कम हो जायेगा और जब प्रशासन पर से डर खत्म हो जाता है तब इसकी कीमत राजनीतिक नेतृत्व को ही चुकानी पड़ती है। माना जा रहा है कि इस समय जो राजनीतिक वातावरण बनता जा रहा है उसमें जांच ऐजैन्सीयां भी किसी भी राजनीतिक दल से बुरा नही बनना चाहती हैं। इस परिदृश्य में प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत कारवाई करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही बचा है।

कौन होगा अगला मुख्यसचिव चौधरी के छुट्टी जाने पर ही आ जायेगा सामने

शिमला/शैल। प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा इसको लेकर चल रही अटकलों पर शीघ्र ही विराम लगने की स्थिति आ खड़ी हुई है। क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव विनित चौधरी 30 सितम्बर को हो रही उनकी सेवानिवृति से पूर्व छुट्टी लेकर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा पर जाते समय चौधरी का कार्यभार किसको दिया जाता है इस पर अफरशाही की नज़रें लगी हुई हैं। सरकार ने इस नियुक्ति के लिये अभी तक कोई अधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू नही कर रखी है। इस समय 1983 और 1984 बैच के जो अधिकारी भारत सरकार में सेवाएं दे रहे हैं उन्हे इस नियुक्ति हेतु वापिस बुलाने के आशय का कोई पत्र भारत सरकार के कार्मिक विभाग को नही भेज रखा है। ऐसे में वरियता क्रम में चौधरी के बाद उनकी पत्नी उपमा चौधरी का स्थान आता है। वह भी केन्द्र सरकार में सेवारत हैं और उन्हे भी वापिस बुलाने को कोई पत्र भारत सरकार को नही गया है। लेकिन यदि कोई अधिकारी केन्द्र से अपने प्रदेश में वापिस आना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिये स्वतन्त्र रहता है। उसके लिये राज्य सरकार से पत्र भेजे जाने की भी अनिवार्यता नही रह जाती है।

ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि उपमा चौधरी स्वयं ही केन्द्र सरकार से वापिस आ सकती है। संभावना जताई जा रही है कि वह विनित के छुट्टी पर जाने से पहले वापिस आ सकती है। वापिस आने के बाद जब चौधरी छुट्टी पर जायेंगे तो स्वभाविक रूप से वरियता के आधार पर चौधरी का कार्यभार उन्हें ही दिया जायेगा। इस तरह जब एक बार कार्यभार मिल जायेगा तो उसे नियमित करने में तब तक कठिनाई नही आयेगी जब तक कि मुख्यमन्त्री स्पष्ट रूप से इन्कार न कर दें और उसकी संभानाएं कम मानी जा रही है।

इन संभावनाओं को इससे भी बल मिलता है कि इन दिनों चौधरी के सरकारी आवास में रिपेयर का काम बड़े स्तर पर चला हुआ है। चौधरी 30 सितम्बर को तो सेवानिवृत हो रहे हैं। फिर सेवानिवृति से कुछ ही दिन पहले आवास पर इतने बड़े स्तर पर रिपेयर करवाने से भी यही संकेत मिलता है कि अभी उस आवास में लम्बे समय तक रहने की योजना है और योजना तभी संभव हो सकती है जब या तो उपमा चौधरी मुख्य सचिव बनकर वहां रहे या फिर स्वयं चौधरी को सेवानिवृति के बाद कोई और बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिल जाये। वैसे यह दोनों संभावनाएं भी एक साथ घट सकती है। माना जा रहा है कि चौधरी भी सेवानिवृति से पूर्व जो छुट्टी लेकर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं उसके पीछे भी यही रणनीति काम कर रही है अन्यथा वह सेवा निवृति के बाद आराम से विदेश यात्रा पर जा सकते थे। फिर अगले मुख्य सचिव के चयन का दायरा भी 1983 बैच तक ही रहेगा। क्योंकि इस बैच के बाद के अधिकारी कैग की टिप्पणी और कैट में गयी चौधरी की याचिका के तर्क के आधार पर नियमित अतिरिक्त मुख्य सचिव नही माने जा सकते हैं। इस गणित से भी उपमा चौधरी का मुख्य सचिव बनना तय माना जा रहा है। लेकिन यह तभी संभव है यदि उपमा विनित चौधरी के छुट्टी पर जाने से पहले ही प्रदेश में वापिस आ जाती है।

दूसरी ओर यह सवाल भी अपनी जगह खड़ा है कि अभी तक सरकार ने उपमा को या अन्य किसी अधिकारी को मुख्य सचिव बनाये जाने के आग्रह का पत्र क्यों नही भेजा। ऐसे में यदि उपमा किसी कारण से चौधरी के छुट्टी पर जाने से पहले प्रदेश में वापिस नही आ पाती है तो उस स्थिति मे मौजूदा अधिकारियों में से ही किसी को कार्यभार सौंपना होगा। इस स्थिति में फिर यह सवाल आयेगा कि क्या यह कार्यभार वरिष्ठतम अधिकारी को ही दिया जायेगा या नही। उपमा की अनुपस्थिति में वी. सी. फारखा ही अगले उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे में यदि फारखा को नज़रअन्दाज़ करके किसी अन्य को यह कार्यभार सौंपा जाता है तब जयराम सरकार पर भी वही आरोप लगेगा जो वीरभद्र सरकार पर लगा था। इस स्थिति में यह जयराम सरकार के लिये एक कठिन परीक्षा का समय होगा। इस वस्तुस्थिति में यह भी संभावना हो सकती है। कि विनित चौधरी छुट्टी पर जाना ही स्थगित कर दें। वैसे भी उन्होने छुट्टी के आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि वह कितने दिनों के लिये जायेंगे। कुछ प्रशासनिक हल्कों में चौधरी के इस कदम को सरकार की नीयत को भांपने की रणनीति भी माना जा रहा है।

पुलिस विभाग थाना स्तर पर करेगा नशा निवारण समिति का गठन

शिमला/शैल। नशा एक विश्वव्यापी समस्या है तथा दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। पंजाब से इसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश में भी अपने पाँव पसार चुकी है। हमारे प्रदेश का युवा इसकी चपेट में आ चुका है। यदि समय रहते इसकी रोकथाम नही की गई तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेगें। नशे के सेवन से हर वर्ष देश में लगभग 2 लाख मौतें होती है। प्रदेश में हर वर्ष भांग की खेती को नष्ट करने के बावजूद भी भांग की तस्करी हो रही है। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक दवाईओं के प्रयोग ने इस समस्या को अधिक जटिल बना दिया है।

प्रदेश की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए एवं समाज में व्यापक स्तर पर नशे के विरुद्ध जागरुकता लाने के लिये पुलिस विभाग द्वारा थाना स्तर पर नशा निवारण समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इन समितियों में पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले समाज के समस्त वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व रहेगा और समूह में कम से कम एक तिहाई महिलायें व युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। परन्तु न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या आपराधिक मामले मे पुलिस द्वारा आरोपित किया गया या किसी लोक नियोजन से भ्रष्टाचार, नैतिक अधमता या अवचार के आधार पर सेवा से हटाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को नशा निवारण समिति में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक पुलिस थाना में नशा निवारण समिति का गठन करेंगे। प्रत्येक पुलिस थाना में नशा निवारण समिति का संयोजक थाना प्रभारी होगा। इस समिति का सचिव थाना का एन.जी.ओ. ग्रेड-1 अधिकारी अथवा वरिष्ठतम एन.जी.ओ. ग्रेड-2 होगा। किन्तु पुलिस उप मण्डल में स्थित थाना में पुलिस उप मण्डल अधिकारी का वाचक इस समिति का सचिव होगा। नशा निवारण समिति में समाज के हर वर्ग के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी इसमें विशेष कर युवा, समाज सेवी संस्थाएं, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, व्यापार मंडल, मीडिया, महिला मंडल, चुने हुए प्रतिनिधि, दवा विक्रेता, टैक्सी, ट्रक, बस आपरेटर यूनियन के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नशा निवारण समिति में सभी श्रेणियों के रिटायर्ड पुलिस अधिकरियों व कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के रिटायर्ड अधिकारियों तथा होमगार्डस को भी विषेश रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

नशा निवारण समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होगी तथा समुदाय का कोई भी जागरूक नागरिक इस समिति का सदस्य बन सकेगा। यह समिति किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एवं समाज सेवा के प्रमुख उद्देश्य से प्रभावित रहेगी। इस समिति का प्रयोग किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

बांध सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। ऊजा निदेशालय द्वारा प्रदेश में बांध सुरक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएडीडब्लयूएम के आयुक्त, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय, के डॉ. बी.आर.के. पिलई मुख्य वक्ता थे।

सत्र की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरूण कपूर ने कहा कि बड़े बांधों के अन्तरराष्ट्रीय आयोग (आईसीओएलडी) के मानकों के तहत हिमाचल प्रदेश में 21 बड़े बांध है, जिनका प्रबन्धन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर से समय-समय पर बांध विफलताओं की सूचनाएं आती रहती है, परन्तु हिमाचल में इस प्रकार का कोई भी मामला सामने नही आया है। उन्होंने सभी बांधों का निर्धारित नियमों के मुताबिक समय पर गुणवत्ता निरीक्षण व क्रियाशील प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. पिलई ने बांध विफलता, बांध मजबूती, उपकरण, जलाशय की मजबूती जैसे बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलूओं पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भारत में 5264 बड़े बांध है और 437 बांधों का कार्य प्रगति पर है।

कार्यशाला में एनएचपीसी, एनटीपीसी हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लि. सतलुज जल विद्युत निगम, हि.प्र. ऊर्जा निगम व भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के सदस्य व स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों ने भाग लिया। निदेशक ऊर्जा मानसी सहाय ठाकुर व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों की अंतिम तिथि 13 अगस्त निर्धारित

शिमला/शैल। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमीयता संस्थान आर.वी.टी.आई.में फूड प्रोडक्शन (जनरल),फूड एवम् बीवरेज़िज सर्विसिस ऐसिसटैन्ट एवंआर्किटैक्चरल डाफ्ट्समैन में एक वर्षीय व्यावसायिक प्रशिक्षण करने के लिए रिक्त सीटों की अंतिम तिथि 13 अगस्त निर्धारित की गई है। इच्छुक महिला उम्मीदवार इन व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश लेने हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवेदन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए प्रधानाचार्य/कार्यालय प्रमुख महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला के दूरभाष सं0 0177-2775999 से सम्पर्क कर सकते हैं ।

सुनीता नारायण ने हिमाचल में थर्मोकोल तथा प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध को सराहा

शिमला/शैल। भारत-जर्मन द्विपक्षिय परियोजना 'भारत के भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन' के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं सत्त विकास, जो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, पर व्याख्यान की लोकप्रिय श्रृंखला 'वी 4 क्लाईमेट' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तरूण कपूर ने कहा कि व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य संवाद और ज्ञान विनिमय तथा हितधारकों के व्यापक समुदाय के मध्य साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिसमें शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, नीति निर्माताओं और जनता के साथ जलवायु परिवर्तन चुनौतियों और अनुकूलन के बारे में ज्ञान साझा करना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा जल संरक्षण व नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने तथा इसके अधिकतम उपयोग पर बल दिया।

निदेशक जी.आई. जैड-जर्मनी आशीश चतुर्वेदी ने राज्य में जलवायु परिवर्तन के जोखिम कम करने में जीआईजैड के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला।

निदेशक पर्यावरण शिक्षा अहमदावाद, पदम श्री कार्तिकेय वी. सरभाई ने जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों का सामना करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों का अधिक उपयोग पर्यावरण के लिए नुकसान का मुख्य कारण है।

महानिदेशक विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली, पदम श्री सुनीता नारायण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भावी नहीं बल्कि यह वर्तमान मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और विभिन्न अध्ययनों से परिणामों के बारे मे भी हम सब अवगत है। उन्होंने गरमियों के दौरान वनों में आगजनी की घटनाएं तथा देश में धूल-मिट्टी के तूफानों पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने थर्मोकोल तथा प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्य के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तनत अनुकूलन की दिशा में काम करने का एक उदाहरण है। भारतीय मौसम विभाग के उप महानिदेशक डॉ. आन्नद कुमार ने द्वितीय सत्र में जलवायु परिवर्तन चुनौतियों को समझने में भारत तथा हिमाचल प्रदेश के प्रयासों पर चर्चा की।

उद्योग को कौशल विकास के क्षेत्र में देना चाहिए योगदानः बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। राज्य में एमएसएमई को संभालने और समर्थन देने के लिए सीआईआई हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद ने बद्दी में कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कॉन्क्लेव का थीम ऋण सुविधा और क्षमता बढ़ा एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाना रहा।

हिमाचल प्रदेश के उद्योग, श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने कॉन्क्लेव के दौरान उद्योगों को सभी संभावित सहायता और समर्थन देने का आश्वासन देते हुए कहा कि उद्योगों का एजेंडा ही राज्य सरकार का एजेंडा है। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ने कहा कि हम उद्योगों को सुविधाजनक बनाने और उन्हें सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है। खासकर राज्य सरकार का मुख्य फोकस राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आदर्श माहौल बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि नियमित व्यापार गतिविधि करने के साथ-साथ उद्योगों को भी आगे बढना चाहिए और राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार के कौशल विकास मिशन में योगदान देना चाहिए।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशक राजेश शर्मा ने एमएसएमई के लिए बिजली टैरिफ में कमी सहित उद्योग का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को साझा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी स्व-रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ क्वालिटी कंट्रोल इन इंडिया नाम से समझौता किया है। इस समझौते के माध्यम से प्रदेश भर में मौजूद उद्योग ईकाईयों में विभिन्न कार्याशालाओं का आयोजन किया जाएगा तथा ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके माध्यम से जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद के चेयरमैन आईएमजेएस सिद्धू ने इस अवसर पर कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है और राज्य की विकास गाथा में इनकी भूमिका बेहद अहम है। चाहे वह स्थानीय युवाओं को रोजगार देना हो या राज्य को राजस्व सभी क्षेत्रों में एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा उद्योग को बनाए रखने के साथ-साथ राज्य को नए निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों में और सुधार और बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण बेहद अहम है क्योंकि अब उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज देना जरूरी है ताकि वे निवेश के समय मौजूद चुनौतियों का सामना कर राज्य में स्थापित हों और राज्य में निवेश बढ़े। सीआईआई एचपी स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल ने कहा कि समग्र औद्योगिकीकरण रणनीति और रोजगार उत्पादन के साथ-साथ भारतीय परिदृश्य के अवसरों के लिए इस क्षेत्र के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद, एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी अड़चन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऋण उपलब्धता, सरकार, उद्योग और अकादमिक के बीच संबंधों और समन्वय को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर संभावित रणनीति स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से वैकल्पिक वितरण चैनल विकसित करने की भी आवश्यकता है।

नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल से मज़बूत होगा खेलों का आधारभूत ढाँचा:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में खेलमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पर बोलते हुए हुए इसे खिलाड़ियों को देश में ही विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएँ मिलने की दिशा में एक सराहनीय क़दम बताया है।

लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा 'दुनिया भर में किसी देश की ताकत का आकलन उसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता खेलों के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों से होता है। 524 करोड़ रुपए की लागत से मणिपुर में बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से हमारे खिलाड़ियों को देश के अंदर ही विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, सुविधाएँ और प्लेटफार्म मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके माध्यम से जगह जगह सेंटर ऑफ एक्सिलेंस खोले जाएँगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट सोच की ज़रूरत होती है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ाने के लिए कई क़दम उठाये और खेलों को मिलने वाले बजट को कई गुना बढ़ाया है। देश को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर, गाँव, पंचायत, ब्लाक, ज़िला, स्कूल और कालेज लेवल पर अच्छे खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें सही प्रशिक्षण और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है।

अनुराग ठाकुर ने कहा 'यदि एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो इस से सिर्फ खिलाड़ी ही नही बल्कि खेलों से जुड़े रोज़गार भी आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन विदेशों में देश का मान बढ़ाता है। लेकिन देखा ये जाता है कि देश में अच्छे ट्रेनिंग सेंटर के आभाव में खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशों में ट्रेनिंग दिलाई जाती है। विदेशों में अच्छे ट्रेनर होने का हवाला देकर देशी ट्रेनरों की अनदेखी से यहाँ के ट्रेनरों का हौसला कम होता है। सरकार को हिमाचल और कश्मीर जैसे पहाड़ी और ठंडे राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर और आधारभूत ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है जिस से हमारे खिलाड़ीयों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिल सके। सरकार खेल संघों के माध्यम से 'ट्रेंड द ट्रेनर' कार्यक्रम के ज़रिए हमारे अपने ट्रेनरों को प्रशिक्षण देने पर ज़ोर देना चाहिए जिससे देश के अंदर ही खेलों का एक अच्छा माहौल तैयार होने में मदद मिलेगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - चन्द्रा
अन्य सहयोगी
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
भेपेश
रीना

शिमला–मनाली में हॉर्न बजाने पर पाबंदी 'शोर नहीं' मोबाइल एप्प शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 'हॉर्न नॉट ओक' जागरूकता अभियान तथा 'शोर नहीं' मोबाइल एप्प का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु तथा शान्तिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। इस प्रकार

यह महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक राज्य के प्राचीन वैभव व वातावरण को बनाए रखने में योगदान करे। उन्होंने कहा कि हॉर्न बजाने से न केवल अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में यह अभियान राज्य के दो शहरों शिमला तथा मनाली में शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दोनो ही शहर सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण है और वाहन चालकों को इन शहरों में हॉर्न का इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित करना एक सराहनीय प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से 'हॉर्न नॉट ओके' अभियान की जागरूकता फैलाने का आग्रह किया ताकि चालकों को हॉर्न बजाने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने पुलिस कर्मियों तथा चालकों से इस अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल एप्प 'शोर नही' प्रदेश को ध्वनि प्रदूषण मुक्त करने का एक बेहतरीन प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह एप्प आम जनमानस की सुविधा के लिए तैयार की गई है ताकि वे ध्वनि प्रदूषण होने पर अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर सके। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एनआइसी हिमाचल के सहयोग से की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप्प को दो प्रकार के उपयोगकर्ता - आम जनमानस तथा अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है, जो ओटीपी का इस्तेमाल करके इसका उपयोग कर सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी शिकायतें एप्प के माध्यम से सम्बन्धित उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप - मण्डलाधिकारी तथा उप मण्डल पुलिस अधिकारी को तुरन्त भेजी जाएंगी, जो की गई कार्रवाई की जानकारी एप्प के माध्यम से ही देंगे। यह एप्प अधिकारियों को घटना स्थल की जानकारी जीपीएस के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी जिससे गुगल मैप के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने उप - पुलिस अधीक्षक यातायात पीडी ठाकुर, अध्यक्ष सचिवालय चालक संघ शान्ति स्वरूप, अध्यक्ष विभागीय चालक संघ बुद्धि सिंह, अध्यक्ष एचआरटीसी चालक संघ सत्यदेव तथा अन्य उपस्थित लोगों को इस एप्प के विषय में सूचना किट वितरित की।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिये गुणवत्ता जांच दस्ता स्थापित किया जाएगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य में लोक निर्माण विभाग, सिचाई एवं जन स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पर्यटन विभाग, शहरी विकास जैसे लाईन विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक गुणवत्ता जांच दस्ते की स्थापना की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि गुणवत्ता स्क्वाड एक स्वतंत्र तृतीय पार्टी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा निजी परामर्शदाताओं के माध्यम से रखा जाएगा और इसे जल्द ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू स्क्वाड के प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि दस्ता राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों का आकस्मिक गुणवत्ता निरीक्षण करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय उनके द्वारा बजट भाषण 2018 - 19 में किए गए आश्वासनों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि दस्ता राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और विभिन्न कार्यों की खराब गुणवत्ता की शिकायतों को कम करने में भी मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उत्तरदायी एवं जिम्मेदार शासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि तीसरे दल द्वारा निरीक्षण का यह तंत्र अन्य संरचनाओं के अलावा सड़कों तथा पुलों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि स्क्वाड निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण करेगा।

सरकार बड़ा भंगाल के लिए हैलीकॉप्टर से भेजेगी राशन व जरूरी सामान :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल के लिए राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सरकारी हैलीकाप्टर से सुनिश्चित बनाएगी। गौरतलब है कि जिले के बड़ा गांव से बड़ा भंगाल तक भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग के परिणामस्वरूप बड़ा भंगाल के लिए राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैलीकॉप्टर द्वारा एक दिन में तीन से चार उड़ानें भरी जाएंगी ताकि बड़ा भंगाल के लोगों को समुचित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा सके। उन्होंने बैजनाथ के विधायक मुलख राज प्रेमी को निर्देश दिए हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण यदि हैलीकॉप्टर की उड़ान संभव नही हो सकी तो उस स्थिति में पतलीकूहल से खच्चर मार्ग से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त कांगड़ा को भी निर्देश दिए हैं कि वह क्षतिग्रस्त मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करवायें ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जल्द होगा प्रदेश के प्रथम परवाणू औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान:डॉ. सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र परवाणू की विभिन्न समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जाएगा। डॉ. सैजल औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में उद्योग तथा जिला प्रशासन के मध्य आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

डॉ. सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का हरित

एवं स्वच्छ औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का नियोजित विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है। सोलन जिले के बद्दी - बरोटीवाला - नालागढ़ तथा परवाणू औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि परवाणू औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और शीघ्र ही इस क्षेत्र के विकास को गति प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से समय लेकर परवाणू औद्योगिक संघ की बैठक उनके साथ करवाई जाएगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह भी शीघ्र ही परवाणू औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करेंगे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि परवाणू की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा और राज्य सरकार के स्तर पर सुलझने वाली मांगों और नीति संबंधी समस्याओं को समयबद्ध सीमा में दूर किया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर निपटाई जाने वाली समस्याओं को शीघ्र दूर करें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सोलन जिले का परवाणू तथा बद्दी - बरोटीवाला - नालागढ़ क्षेत्र प्रदेश की राजस्व राजधानी है। यह समूचा क्षेत्र प्रदेश को आय एवं रोजगार प्रदान करने का प्रमुख केंद्र है। सभी अधिकारियों को सोलन जिले एवं परवाणू तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के महत्व को समझना होगा तथा सकारात्मकता एवं जनहित की भावना से कार्य करना होगा।

डॉ. सैजल ने कहा कि परवाणू में विद्युत आपूर्ति का समस्या का स्थाई हल निकाला जाएगा। शीघ्र ही परवाणू में प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड के सहायक अभियंता की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि परवाणू में श्रमिकों के लिए अनुकूल स्थान पर श्रमिक छात्रावास निर्मित किया जाएगा। इसके लिए परवाणू के सैक्टर - 1, सैक्टर - 4 इत्यादि क्षेत्रों में स्थान चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कामली से गुजरने वाले फोरलेन से परवाणू के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रारूप एवं आकलन तैयार कर शीघ्र सड़क निर्मित की जाएगी। इससे जहां औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पाद बिना किसी देरी के भेजे जा सकेंगे वहीं यातायात की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि क्षेत्र की राज्य सरकार के स्तर पर सुलझाई जानी वाली समस्याओं एवं मांगों को शीघ्र प्रेषित करें ताकि इन पर उचित कार्यवाही की जा सके।

डॉ. सैजल ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि परवाणू में अवैध पार्किंग को समयबद्ध सीमा में हटाया जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए पूर्ण रूप से खुला रखा जाए। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए कि पूरे क्षेत्र में नशे के कारोबार और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

परवाणू औद्योगिक संघ के अध्यक्ष सुबोधा गुप्ता ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया।

विद्युत विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया आरम्भः अनिल शर्मा

शिमला/शैल। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि विभाग में खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है तथा 800 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि थरोट पावर हाऊस के डैम से गाद की निकासी का कार्य एक दो दिन में शुरू कर दिया जाएगा ताकि यह पावर हाऊस पूरा विद्युत उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में विद्युत आपूर्ति के लिए मनाली से भी 33 केवी की लाईन से विकल्पिक व्यवस्था की गई है तथा थरोट पावर हाऊस में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो मनाली से विद्युत आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पावर पॉलिसी में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग में विद्युत उपकरण खरीदने का कार्य

युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो सके। उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग के बन जाने से लहौल घाटी में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी तथा इससे यहां की आर्थिकी भी सुदृढ होगी।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में 17713 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 31 जुलाई, 2018 तक ट्रिब्यूनल में 27187 मूल आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 17713 मूल आवेदनों पर निर्णय लिया गया है।

ट्रिब्यूनल में उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 551 अवमानना याचिकाओं, 30 समीक्षा याचिकाओं, 85 निष्पादन याचिकाएं और 7422 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से भी 6479 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1498 मामले निपटा दिए गए हैं।

भविष्य के अन्धकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है।.....चाणक्य

सम्पादकीय

भारी पड़ेगी अवैधताओं की वकालत

इस समय प्रदेश अवैध कब्जों और निर्माणों की समस्या से जूझ रहा है। यह समस्याएं कितना विकाशल रूप धारण कर चुकी हैं इसका आकलन इसी से किया जा सकता हैं कि यह मुद्दे आज सरकार से निकलकर अदालत तक पंहुच चुके हैं। अवैध कब्जे छुड़ाने के लिये उच्च न्यायालय को सेना को यह जिम्मेदारी देने की नौवत आ गयी। अवैध निर्माणों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिनिश्चत करने के लिये गोली चल गयी जिसमें दो लोगों की मौत हो गयीं यह मसले एक लम्बे अरसे से अदालतों में चले आ रहे थे। अदालतों तक इसलिये मामलें पंहुचे थे क्योंकि लोगों ने इस संद्धर्भ में सरकार द्वारा ही बनाये गये नियमों/कानूनों को अंगूठा दिखाते हुए अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों को अंजाम दिया था। जब यह अवैधताएं हो रही थी तब संवद्ध प्रशासन ने इस ओर से ऑखे मूंद ली थी। अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये तो वर्ष 2000 में एक पॉलिसि तक बना दी गयी थी। इसके तहत अवैध कब्जाधारकों से वाकायदा आवेदन मागे गये थे और 1,67000 आवदेन आ गये थे लेकिन प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। आज उसी न्यायालय ने एक ईंच से अवैध कब्जे हटाने के आदेश कर दिये हैं। अवैध कब्जों में ऐसे-ऐसे कब्जे सामने आये हैं जहां लोगों ने सैंकड़ों -सैकड़ों बीघे पर कब्जे किये हुए थे। इन कब्जों को हटाने के लिये एसआईटी तक का गठन करना पड़ा है।

यह अवैध कब्जे कई दशको से चले आ रहे थे। वर्ष 2000 से तो वाकायदा शपथपत्रों के साथ सरकार के रिकार्ड और संज्ञान में आ गये थे। लेकिन सरकार ने इन्हे हटाने के लिये कोई कारगर कदम नही उठाये जबकि जो काम आज उच्च न्यायालय को करना पड़ा है यह काम तो कायदे से सरकार को करना चाहिये था। कांग्रेस और भाजपा दोनो की ही सरकारें सत्ता में रही है। दोनो की ही सरकारें कानून का शासन स्थापित करने में बुरी तरह असफल ही नही पूरी तरह बेईमान रही है।

प्रदेश में 1977 से टीपीसी एक्ट लागू हैं यह अधिनियम इसलिये लाया गया था ताकि पूरे प्रदेश में सुनियोजित निर्माणों को अंजाम दिया जा सके। नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग को यह जिम्मेदारी दी गयी थी कि वह प्रदेशभर के लिये एक सुनिश्चित विकास योजना तैयार करे। इस जिम्मेदारी के तहत 1997 में एक अन्तरिम प्लान अधिसूचित किया गया था। इस प्लान में परिभाषित किया गया था कि किस एरिया में कितना मंजिल का निर्माण कैसा किया जा सकता है और उस निर्माण के अन्य मानक क्या रहेंगे यह सब उस अन्तरिम प्लान में समायोजित था। इस प्लान की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नगर निगम पालिका आदि स्थानीय निकायों के साथ नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग को सौपी गयी थी। जहां कहीं विशेश नगर/कालोनी बनाने -बसाने की योजनाएं बनाई गयी थी वहां पर इस अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये साडा का गठन करने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन यह सब होते हुए भी आज प्रदेया के हर बड़े शहर में अवैध खड़ें हैं क्योंकि 1979 से लेकर 2018 तक नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग प्रदेश को एक स्थायी विकास योजना नही दे पाया हैं यही अन्तरिम प्लान में ही अठारह बार संशोधन किये गये है। नौ बार तो रिटैन्शन पॉलिसियां लायी गयी है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकारें बराबर की दोषी रही हैं। अवैध निर्माणों की स्थिति यह है कि यदि कल को राजधानी शिमला में ही भूकम्प का ठीक सा झटका आ जाता है तो 50%भवन क्षतिग्रस्त हो जायेंगे और 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। अवैध निर्माण शिमला , कसौली, कुल्लु, मनाली ओर धर्मशाला में खतरे की सीमा से कहीं अधिक हो चुके है। अवैध निर्माणों पर प्रदेश उच्च न्यायालय एनजीओ और सर्वोच्च न्यायालय कड़ा संज्ञान लेकर इन्हें गिराने के आदेश जारी कर चुके है। एनजीटी ने नये निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा रखा हैं प्रदेश सरकार ने एनजीटी के फैसले पर एक रिव्यू याचिका दायर की थी जो अस्वीकार हो चुकी है। लेकिन राज्य सरकार इस बारे मे सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की बात कर रही हैं मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों कुल्लु-मनाली के अवैध निमाणों के दोषियों को यह आश्वासन दिया है कि इन अवैध निर्माणों को कानून के दायरे में लाकर उन्हे राहत प्रदान करेंगीं मुख्यमन्त्री जयराम का यह आश्वासन ओर प्रयास इन अवैधताओं को रोकने में नही बल्कि इन्हे प्रात्साहित करने वाला होगा। मुख्यमन्त्री को यह स्मरण रखना होगा कि दनकी पूर्ववर्ती सरकारें भी अन्तरिम प्लान में बार- बार संशोधन करके और रिटैन्शन पॉलिसियां लाकर इन्हे बढ़ावा ही देती रही हैं आज यदि जयराम ठाकुर भी ऐसा ही प्रयास करेंगे तो उनका नाम भी उसी सूची में जुड़ जायेगा और वह भी भविष्य के बराबर के दोषी बन जायेंगे ं जयराम के साथ भी यह जुड़ जायेगा कि वह भी कानून का शासन स्थापित करने में असफल ही नहीं वरन् पूर्ववर्तीयों की तरह बेईमान रहे हैं। सरकार का अपना आपदा प्रबन्धन इस बारे में आंकड़ो सहित गंभीर चेतावनी दे चुका है। एनजीटी के पास जब निर्माणों की अनुमतियां मांगने की कुछ सरकारी विभागों की याचिकाएं गयी थी तब इन्हें अस्वीकार करते हुए एनजीओ ने शिमला पर और निर्माणों का बोझ डालने की बजाये इन कार्यालयों को ही प्रदेश के दूसरे भागों में ले जाने का सुझाव दिया है। आज आवश्यकता इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की है न कि इन्हें कानून के दायरे में लाकर राहत प्रदान करने की।

हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती की संभावनाएं

हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आयुश मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plants Board) की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। औषधीय पौधों की महता को देखते हुए इनके उत्पादन और संरक्षण पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। किसानों और बागवानों को औषधीय पौधों की खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे न केवल उनकी आर्थिकी मजबूत होगी, अपितु आयुर्वेद औषधियां तैयार करने के लिये इन पौधों की सुगम उपलब्धता होगी।

औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को राष्ट्रीय आयुश मिशन के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए किसानों के कलस्टर बनाए जा रहे हैं। वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के कलस्टर के पास कम से कम दो हैक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है। किसानों के कलस्टर 15 किलोमीटर दायरे के भीतर साथ लगते तीन गांव हो सकते हैं। खेती के लिए बंधक भूमि का भी प्रयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आयुश मिशन द्वारा वर्तमान में अतिस, कुटकी, कुठ, सुगन्धवाला, अश्वगंधा, सर्पगन्धा तथा तुलसी औषधीय पौधों की खेती के लिए 100.946 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। लघु विधायन तथा दो भण्डारण गोदामों के लिए 40 लाख रुपये, 25 लाख रुपये बीज केन्द्र तथा पांच लाख रुपये जैविक/ परमाणिकता के लिए स्वीकृत किए गए है।

राज्य आयुर्वेद विभाग के निदेशक संजीव भटनागर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय आयुश मिशन के अन्तर्गत 75.54 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिस में से दो छोटी नर्सियों के लिए 12.50 लाख रुपये, अतिस की खेती के लिए 8.04 लाख रुपये कुटकी व कुठ के लिए 25 लाख रुपये जर्मप्लाम केन्द्र की स्थापना के लिए तथा 30 लाख रुपये ड्राईंग शैड व गोदामों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 64 लाख रुपये का एक प्रस्ताव औषधीय पौधों की खेती के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।

भटनागर ने बताया कि आयुश मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड ने जोगिन्द्रनगर में क्षेत्रीय एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए 748 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृति प्रदान की है। यह केन्द्र युवाओं को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरणा प्रदान करने के अलावा मौजूदा औषधीय पौधों के उत्पादकों व किसानों में उद्यमिता की भावना उत्पन्न करने में मददगार होगा। यह केन्द्र पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश उत्तर भारतीय राज्यों में औषधीय पौधों की खेती तथा इनके संरक्षण को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

हिमाचल प्रदेश की विविध भौगोलिक परिस्थितियां हैं और यहां समुद्रतल से 200 मीटर से लेकर 7000 मीटर ऊॅचाई तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में विविध जलवायु के कारण अलग - अलग किस्म की जड़ी बुटियां व औषधीय पौधों की पैदावार होती है। उप-उष्णीय शिवालिक पहाड़ियों के अन्तर्गत 700 मीटर ऊॅचाई वाले क्षेत्र जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन तथा मण्डी जिलों के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जिनमें लगभग 160 प्रजातियों के औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है।

इन औषधीय पौधों में मुख्यत: कस्तुरी भिंडी, खैर, बन्सूटी, नीलकण्ठी, घृत कुमारी, चुलाई, शतावर, नीम, ब्रहमी, कचनार, कशमल, पलाह, आक, करौंदा, अमलतास, वाथू, कासमर्द, सफेद मूसली, कपूर वृक्ष, तेजपत्र, झमीरी, लसूड़ा, वरूण, जमालघोटा, काली मसूली, आकाश बेल, धतूरा, भृगंराज, आमला, दूधली,अंजीर, पलाक्ष, मुहलठी, कुटज, चमेली, कौंच, तुलसी, इश्वगोल, सर्पगन्धा, एरंड, अश्वगन्धा, बनफशा, गिलोए, हरड़, जामून, अकरकरा, रीठा, अन्नतमूल आदि की पैदावार होती हैं।

कांगड़ा जिले की पालमपुर व कांगड़ा तहसील, शिमला की रामपुर तहसील तथा मण्डी, कुल्लू, चम्बा व सिरमौर जिलों के 700-1800 मीटर ऊॅचाई वाले क्षेत्रों में नीलकण्ठी, संसवाई, दारूहरिदा, भांग, सफेद, मूसली, धतूर, तिल पुष्पी, तरडी, सिंगली-मिंगली, कर्पूर कचरी, जर्मन चमेली, कटफल, जंगी ईश्वगोल, बादाम, खुमानी, दाड़िम, कंटकारी, चिरायता, ममीरी जैसे औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

इसी प्रकार शिमला, कुल्लू, सोलन, चम्बा, मण्डी, कांगड़ा एवं सिरमौर जिलों के पहाड़ी क्षेत्र जो 1800 से 2500 मीटर की ऊॅचाई वाले ठण्डे क्षेत्र हैं, में लगभग 60 किस्म के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इनमें मुख्यत: तालिस पत्र, पतीसत्र, अतीस, दूधिया, किरमाला, भोजपत्र, देवदारू, निरविसी, कडू, शटी, पतराला, जीवक विषकन्दा, जर्मन चमेली, जटामांसी, चिलगोजा, बनककड़ी, महामेदा, रेवन्द चीनी, बुरांस, काकोली, काली जड़ी, कस्तूरी पत्र, चिरायता, वन अजवायन तथा जंगली प्याज जैसे औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

राज्य के जनजातीय जिलों लाहौल-स्पिति और किन्नौर तथा कुल्लू, कांगड़ा व शिमला के ऊॅचाई वाले ठण्डे मरूस्थलीय क्षेत्र जो 2500 मीटर से अधिक की ऊॅचाई पर स्थित हैं, में अति महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें पतीस, बत्सनाभ, अतीस, ट्रेगन, किरमाला, रतनजोत, काला जीरा, केसर, सोमलता, जंगली हींग, छरमा, खुरासानी अजवायन, पुष्कर मूल, हाऊवेर, धूप, धामनी, निचनी, नेरा, कैजावों, धूप चरैलू, शरगर, गग्गर तथा बुरांस शामिल हैं।

क्या एनजीटी के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल पायेगी

एनजीटी ने शिमला में नये निमार्णो पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अब कोई भी निर्माण अढ़ाई मंजिल से अधिक का नही हो सकेगा। शिमला के कोर एरिया में केवल पुराने भवनों का ही पुनः निर्माण हो सकेगा और वह भी पूरी तरह पुराने के ही आधार पर। एनजीटी के फैलसे पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सरकार रिव्यू याचिका अस्वीकार होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने की बात कर रही है। इस संद्धर्भ में यह स्मरणीय है कि एनजीटी के इस फैलसे का आधार सर्वोच्च न्यायालय के दिसम्बर 1996 और मई 2006 के फैसले बने हैं। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि the Court while referring to the case of *Royal Paradise Hotel (P) Ltd. V. State of Haryana and Ors.*, (2006) 7 SCC 597 held as under:

"We would like to reiterate that no authority administering municipal laws and other similar laws can encourage violation of the sanctioned plan. The Courts are also expected to refrain from exercising equitable jurisdiction for regularization of illegal and unauthorized constructions else it would encourage violators of the planning laws and destroy the very idea and concept of planned development of urban as well as rural areas."

The above law enunciated by the highest court of the land and has been followed by the Tribunal in its various judgements leaves no doubts in our mind that unauthorized and illegal structures raised must face the rigors of law and cannot be granted regularization with the aid of byelaws for compounding deviation. The deviations must fall within the framework of the principal statute and they cannot be permitted to defeat the provisions of the principal Act.

अब एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में 24 मई 2017 को अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें भी फैसले का आधार बनी है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के विशेषज्ञ अधिकारियों की रिपोर्ट इस फैसले का आधार बनी है तब क्या सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में कोई राहत मिल पायेगी। पाठको की जानकारी के लिये एनजीटी में रखी गयी यह रिपोर्ट सामने रखी जा रही है।

CHAPTER 4
CONCLUSION

The Committee made an in depth analysis of the carrying capacity of Shimla city and Shimla Planning Area (SPA), the trend of growth of population, construction, vehicular population and ecological impacts of solid waste, sewage, destruction of forest, water supply, etc, on the ecology. The Committee studied the carrying capacity in greater detail with reference to disaster risk, mobility, water supply, liquid and solid waste management and forest management. The Committee analysed the principal natural hazards including the seismic hazard (possibility of earthquakes that will produce peak ground acceleration of ground shaking of destructive potential) and landslide hazard. The Committee took into account other factors such as the geomorphological conditions (nature of subsoil and rocks) and the effects of climate change and the resulting patterns of intense rainfall that may exacerbate the effects of these two principal hazards. The analysis of the principle hazards was complemented with the analysis of exposure (how many buildings of what type) and vulnerabilities (strength of the buildings) based on secondary data sourced from Shimla¡¦s Hazard Risk and Vulnerability Assessment (2015) as well as field visits. This gave a picture of the damage and loss potential of the two principal hazards. An analysis of the local level emergency response capacity helped understand the challenges that would arise should a major disaster occur in Shimla. Based on secondary source analysis as well as field visits, the committee analyses issues around: current situation vis-a-vis availability of water, measures required for ensuring adequate and sustainable supply of water in view of the growing demand; issues around vehicular population and sustainable solutions in view of limited infrastructure for ensuring efficient mobility without environmental side-effects; disposal of solid waste and sewage; and sustainable management of forests.

The Committee unanimously came to several conclusions, which are detailed in the recommendations presented in Chapter 3. However, it was considered necessary to highlight certain issues given their far-reaching implication. They are presented below.

1. The entire Himalayan belt, including Shimla and its surrounding area, falls in Earthquake Zone-IV and V. Shimla can be affected by not only earthquakes occurring in its vicinity, but also the ones that take place in other parts of the State. Earthquake of high magnitude of over 6 on the Richter scale are entirely possible in this region. It can cause severe ground shaking with peak ground acceleration (PGA) up to 4.0 m/s in and around Shimla. Given the volume and quality of current building stock, this will have huge destructive potential. Given the poor quality of constructions ignoring the underlying geological settings, proneness to earthquake and landslide, as discussed in detail in situation analysis (Chapter-2), most of the buildings will collapse in an earthquake causing PGA of 4.0 m/s and above. The situation will get compounded on account of pounding and cascading effect, which may significantly increase loss of lives, which would be difficult to estimate.

2. The hazard risk gets further aggravated considering most of Shimla and SPA are prone to landslides, which, it is observed in the recent past, get accentuated due to climate change induced intense rainfall and unscientific cuttings of slopes for construction purpose. The Committee found that most of the buildings are constructed over land with slopes exceeding 45 degrees, and in certain cases the buildings are constructed on the slopes exceeding 70 degrees. Such constructions require huge cutting of the contour that makes the land susceptible to landslides. Subsidence of land in a number of areas and landslides are becoming frequent.

3. It is evident that Shimla and surrounding area seem to face great risk of life and property in case of earthquake and big landslide. There is an urgent need to decongest Shimla and SPAparticularly areas like Sanjhauli, Dhali, Tutu, Lower Lakkar Bazar. All the institutions, including the Defense establishments, which are not required to operate from Shimla, must be relocated to the plains or other areas. Secondly, all the buildings, which have been constructed ignoring the seismic sensitivity and load bearing capacity and those which are constructed very close, must be identified by a group of experts and the Government through the process of incentives and disincentives within a time-frame, say 5-10 years, and if required through law, ensure demolition, relocation and reconstruction. For this purpose, detailed new construction guidelines, suitable for the hill environment of Shimla, should be developed with the help of experts in this field. These guidelines should take into account the earthquake and landslide risk, load-bearing capacity o1f different localities, slope angle,

शेष पृष्ठ 6 पर.....

क्या एनजीटी के फैसले पर

पृष्ठ 5 का शेष

structural design of the buildings and the quality of construction including their foundations (in accordance with applicable BIS codes) that can withstand a probable earthquake. The Government or any institution should have no discretion to regularize any new building which violates the above guidelines. Such buildings should automatically be demolished and there should not be any legal relief to such construction.

4. At the current level of population 2.34 lakhs in the SPA, it was reported by the authority that people get water supply for about 990 minutes every day, which reduces to 45 minutes during summer. However, meeting with people gave the Committee to understand that in most of the areas, water supply is once in 3-4 days only. This means that the water supply is not adequate to be able to sustain provide even decent quantity even to the current level of population, leave alone the projected population and water demand by 2020 or 2030. Shimla as of now does not have adequate water resources and sewer network and sewage collection efficiency. Further construction would lead to unmanageable pressure on Local Urban Body to provide for enhanced water supply & wastewater collection and management facilities. These issues also need to be addressed fully before considering permissions for further construction in Shimla.

5. The Committee studied the sources of water supply and also studied their catchment areas. It is observed that the catchment areas of these water sources, which were full of natural vegetation that would absorb rainwater and sustain the streams on which the water sources have been developed, round the year. The Committee observed that unfortunately the catchment areas have been denuded to a certain extent and are giving way to apple orchards and other anthropogenic activities. Apple orchards, denudation of natural forest and soil erosion, all the three together would result in lower availability of water in the streams, particularly during the lean season. If water supply to the population in SPA is to be sustained at a decent level, the catchment area of the water sources will be required to be declared as eco-sensitive zone under the Environment Protection Act, with the detailed dos and don'ts, some of which are: no further conversion of forest to apple orchard, increasing plantation of trees with native species, construction of trenches at regular intervals and extensive mandatory water harvesting structures in the orchard areas, so that sub-soil system absorbs more rain water to sustain the streams. The already degraded catchment areas should also be rejuvenated on priority to make those water resources sustainable.

6. The Committee recommends several actions as short term measures to improve the current water supply situation, including reduction of losses at water treatment plants & water distribution lines, mapping and hydraulic modelling of water distribution, water leak detection and timely repair, metering of bulk and commercial users, public awareness for judicious use of water etc.

7. Water and energy audit should be quickly completed for operationalizing immediate and short term measures. Activities requiring substantial quantity of water such as swimming pool, water sports etc., should be minimized, particularly in summer season. It may be possible to price water supplied to commercial establishments including hotels etc. differently at higher rate. Such resorts/hotels should be encouraged to install decentralized greywater/ sewage treatment plants and treated greywater/ sewage should be used for non-potable purposed. In general re-use of treated water for the non-potable purposes within a time-frame will make available huge quantity of fresh water. This would significantly ease water situation in Shimla and SPA.

8. Another area, the Committee would like to highlight is transport and mobility. Significant increase in vehicular population in Shimla town and SPA, together with increase in movement of big vehicles carrying goods and passenger, has reached a level, which the current infrastructure is just unable to cope with. In most places, it is not possible to widen the roads. Idle parking and a large number of garages choke the roads. The Government will have to discourage purchase of new vehicles and do well to incentivize Ola/Uber type of cab aggregators for mobility of people. The utilization factors of personal cars is less than 5%, as observed by the Committee; whereas Ola/ Uber cabs will have more than 50% utilization. This means that one Ola/Uber cab can displace 10 private cars from the road and free the parking areas. The Government should further encourage Ola/ Uber type of companies to provide electric vehicles to reduce pollution. The technology available in the country today would enable such arrangements to do a viable business. The Government will have to significantly increase the parking charges and ensure their enforcement by installing CCTV's at important locations, to discourage parking of private vehicles.

9. Evidently, the carrying capacity of Shimla has been far exceeded. There is an urgent need to decongest the town and SPA by shifting certain institutions and establishments and to ensure that further population and construction growth are seriously discouraged. The authorities will have to take certain hard decisions, in the right earnest. Any further delay could be only at its peril.

10. In terms of the vulnerability of the built environment to earthquakes and landslides, other hill towns of the country, particularly in the Himalayan belt, are facing similar issues. They are also facing similar environmental challenges. Shimla has the opportunity to set an example as to how our hill cities can be made disaster resilient and environmentally sustainable.

11. The Committee has deliberately decided not to make any recommendation for construction in the 17 Green Belt notified by the GoHP in August/ December, 2000 as the earlier Committee has also recommended no construction which has been noted by the Hon'ble NGT in its order Dt 28.2.2017. This Committee has strongly recommended to decongest and depopulate Shimla.

54. Besides submitting the detailed report and its recommendations, the Committee also relied upon and made the following integral part of the comprehensive report:

(a). Natural Hazards exposure vulnerability and disaster risk in Shimla prepared by National Disaster Management Authority.

(b). Engineering Geological Contribution prepared by Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.

(c). Water supply system in Shimla, current status, future plans and recommendations including sewage generation, collection and disposal was prepared by G. B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Himachal Pradesh Unit.

(d). Forest, bio-diversity, water supply systems, watershed management, ecosystem services, climate change, impact of climate change and water sanctuaries in Shimla prepared by the same Institute.

(e). Carrying capacity based, spatial zoning.

These reports are integral part of the main report, which also includes the respective recommendations finalised upon due to deliberation of the High Powered Committee.

the Court while referring to the case of Royal Paradise Hotel (P) Ltd. V. State of Haryana and Ors., (2006) 7 SCC 597 held as under:

"We would like to reiterate that no authority administering municipal laws and other similar laws can encourage violation of the sanctioned plan. The Courts are also expected to refrain from exercising equitable jurisdiction for regularization of illegal and unauthorized constructions else it would encourage violators of the planning laws and destroy the very idea and concept of planned development of urban as well as rural areas."

डॉ. वाई.एस.परमार ने सुदृढ़ विकास की नीव रखी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के निर्माता व प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवन्त सिंह परमार की 112वीं जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पुष्पाजंलि अर्पित की। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश संसदीय समूह द्वारा आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. परमार एक दूर-दृष्टा नेता थे, जिन्होंने न केवल प्रदेश को स्वतंत्र दर्जा प्रदान करने के लिए संघर्ष किया बल्कि उन्होंने प्रदेश के सुदृढ़ विकास की नीव भी रखी। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार का प्रदेश के किसानों के कल्याण तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति हमेशा संवेदनशील दृष्टिकोण रखते थे तथा उन्होंने हमेशा ही इनके समग्र विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश को अलग पहचान बनाने में सफलता मिली और हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य के 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि डॉ. वाई.एस.परमार की जयंती को व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा ताकि इसके आयोजन में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि डॉ. वाई.एस.परमार के हृदय में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति कूट-कूट कर भरी हुई थी और उनके जीवन व कार्य से प्रत्येक को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हमे अलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने कहा कि इस महान दूरदृष्टा नेता को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम प्रदेश के विकास व कल्याण के लिए एक जुट होकर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. परमार ने प्रदेश में सड़कों के निर्माण पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी क्योंकि वह मानते थे कि सड़के ही पहाड़ी राज्य के विकास की भाग्य रेखाएं हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के प्रति प्रयत्नशील रहते थे। अपने इसी व्यक्तित्व के कारण डॉ. परमार ने प्रदेश के लाखों लोगों के हृदय में अमीर छाप डाली है। उन्होने कहा कि विचारों में भिन्नता हो सकती है परन्तु इसमें किसी प्रकार का दुर्भाव नही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें डॉ. परमार के जीवन व कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए।

इस अवसर पर डॉ. वाई.एस.परमार के जीवन चरित्र पर प्रस्तुति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि डॉ. वाई.एस. परमार एक जन नेता थे, जिनका लोगों से सीधा संवाद था। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार द्वारा विधानसभा में दिए गए सभी वक्तव्य व भाषणों को विधानसभा द्वारा संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार को हिमाचली संस्कृति व जीवन शैली पर गर्व था और डॉ. परमार को प्रदेश के रीति-रिवाजों, संस्कृति और प्रदेश के लोगों की विकास की आवश्यकताओं का व्यापक ज्ञान था। उन्होंने इस अवसर पर डॉ. परमार की भाषणों के कुछ उद्धरण भी पढ़े।

विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि डॉ. परमार न केवल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे बल्कि उन्होंने प्रदेश के विकास की सुदृढ़ नीव भी रखी।

मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायकगण, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर तथा डॉ. राधारमण शास्त्री, पूर्व मंत्रीगण, नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, उप-महापौर राकेश, डॉ. वाई.एस. परमार के सुत्र एवं पूर्व विधायक कुश परमार व उनके परिवार के सदस्यों ने भी डॉ. परमार को पुष्पाजंलि अर्पित की।

प्रदेश में तालाब बनाये वन विभाग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वन विभाग को प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए और अधिक उत्साह व समर्पण की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों की विकासात्मक परियोजनाओं को स्वीकृति देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कैम्पा के अन्तर्गत प्रदेशभर में तालाब निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर भी बल दिया तथा कहा कि इनके निर्माण से वनों में नमी बनी रहेगी, जिससे वनों को आग से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तालाबों का निर्माण सही आंकलन के उपरान्त ऐसे स्थानों पर किया जाना चाहिए, जहां लोग को अधिकतम लाभ हो सके। उन्होंने तालाब निर्माण की योजना तैयार करने तथा विशेषज्ञों की सहायता से प्रथम चरण में लगभग पांच जल शेड तैयार करने को भी कहा। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा बाहरी सहायता से चार प्रमुख परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, जिनमें वन प्रबन्धन, जैव विविधता संरक्षण व आजीविका सुधार के लिए 800 करोड़ रुपये की जाइका वन्य परियोजना प्रदेश के छः जिलों में 10 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। इसी प्रकार 665 करोड़ के निवेश से हिमाचल प्रदेश में वन समृद्धि परियोजना पांच वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी और प्रदेश में लन्टाना उन्मूलन के लिए हि.प्र. वन इको सिस्टम क्लाईमेंट कन्ट्रोल पुफिंग परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 700 करोड़ रुपये की एकीकृत विकास परियोजना भी सात वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गुणवत्ता व उचित निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित बनाने के लिए वृक्षारोपण के मापदण्डों से हटाकर नर्सरी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने नर्सरियों के उचित रख-रखाव के लिए बाड़ लगाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विभाग को वनों में आग की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महिला मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि लोगो की सोच में बलदाव लाया जा सके। लोगों का सोचना है कि वनों में आग लगाने से अच्छी घास उगती है, जो वास्तव में गलत धारणा है।

वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के दौरान बन्दरों को पकड़ने तथा नसबन्दी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

कृषि तथा बागवानी में रोजगार की अपार सम्भावना: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को और अधिक रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करेगी और रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार कर इनका क्रियान्वयन करेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात राज्य में रोजगार सृजन लक्ष्यों के लिये आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार न केवल राज्य अथवा देश, बल्कि वैश्विक समस्या है और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियां राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर लक्षित हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया है और यही नही सरकार द्वारा अनेक नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कृषि तथा बागवानी क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें स्वरोजगार की अपार सम्भावना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल देते हुए अग्रसक्रियता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र राज्य में एक मुख्य स्वयं रोजगार के रूप में उभर सकता है यदि इसे समुचित प्रोत्साहन दिया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य में स्वयं रोजगार सृजित करने तथा नियमित दिहाड़ी रोजगार सृजन करने से जुड़ी नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा आजीविका प्रदान करने पर राज्य सरकार विशेष बल दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला तथा खण्ड स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार मेलों तथा कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार तथा प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य के सभी रोजगार कार्यालयों को कौशल पहचान केन्द्रों तथा आदर्श करियर मार्गदर्शन केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा शहरी स्थानीय निकायों में 2,75,000 रोजगार के अवसर मौजूद हैं। इसी प्रकार संगठित तथा असंगठित निजी क्षेत्रों में लगभग 7,90,000 रोजगार उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 8.34 लाख युवा नौकरी की तलाश में हैं और हर वर्ष दो लाख युवा नौकरियां प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करवाते हैं। इस प्रकार अकेले सरकारी क्षेत्र में इतनी बड़ी मांग को पूरा का सम्भव नही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग रोजगार तथा स्वरोजगार सृजन पर विशेष बल देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नौजवानों की जनसंख्या 35.25 प्रतिशत है, जिसका अभिप्राय: यह है कि यहां पर दूसरे प्रदेशों की तुलना में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में 7848 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाएं आवंटित कर दी गई हैं और इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा 2795 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाएं भी आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 10 हजार मेगावाट क्षमता की इन बिजली परियोजनाओं में काम आरंभ होने पर प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन और भ्रमण ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने, इको-टूरिज्म, जलक्रीड़ा, साहसिक पर्यटन तथा कैम्प लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्र में भी यह सुनिश्चित करेगी कि हिमाचली युवाओं को नई तथा नई बनने वाली औद्योगिक इकाइयों में कम से कम 80 प्रतिशत रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में 4.34 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि उनके द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट में घोषित की गई योजनाओं के क्रियान्वयन में आरम्भ में विलम्ब हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के आदेश दिए, जिससे युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को लक्ष्य निर्धारित करके काम करना चाहिए, तभी प्रदेश उन्नति और समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्साह व जोश के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पट्टे पर भूमि देने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी तथा विभिन्न स्वीकृतियों में होने वाली देरी से निपटने के लिए एमसीए और एफआरए में समयबद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करेगी ताकि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर लागू किया जा सकेगा। इससे न केवल प्रचूर मात्रा में प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकेगा।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने शहीद सिपाही विजय कुमार को दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शहीद सिपाही विजय कुमार को श्रद्धांजलि दी, जो शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतकंवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। 30 वर्षीय विजय कुमार बिलासपुर जिला के नेना देवी के गांव उटापुर, ग्राम पंचायत माकड़ी के रहने वाले थे तथा सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर जवान ने देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपूरणय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने अपने शोक सन्देश में कहा कि प्रदेश के बहादुर सिपाही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा ही लड़ते रहे हैं जिस पर प्रदेश को गौरव है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश विजय कुमार द्वारा दिए बलिदान को हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

न्यू शिमला में ग्रीन,पार्क और कामन एरिया का रकबा कितना है हिमुडा के पास नही है जानकारी

शिमला/शैल। न्यू शिमला आवासीय कालोनी को लेकर एक याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रही है याचिकाकर्ता प्रो. अमर सिंह इसी कालोनी के रहने वाले हैं यह कालोनी पूरी तरह स्वत: वितपोषित आधार पर बनी है इसके रखरखाव और अन्य जन सुविधाओं के लिये इसके निवासियों से चार्ज किया जाता है। इस नाते इस कालोनी की एक ईच जमीन यहां के रहने वालों का मालिकाना हक है। जब इस कालोनी का प्लान तैयार करके प्राचारित किया गया था तो उसमें यहां पर कहां-कहां ग्रीन एरिया,पार्क कमर्शियल एरिया एवम् अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी यह पूरी तरह परिभाषित और चिन्हित था। यही सारा कुछ इसका मुख्य आकर्षण भी था और इसी के कारण लोग यहां पर निवेश के लिये आगे आये। लेकिन जैस-जैसे कालोनी का निर्माण आगे-आगे बढ़ता गया उसी के साथ ग्रीन एरिया और पार्क एरिया कम होने लग पड़ा। प्रदेश उच्च न्यायालय में जो याचिका लम्बित है उसमें यही सबसे बड़ा आरोप है कि यहां पर भू-उपयोग मन माने तरीके से बदला गया है जिसके कारण ग्रीन एरिया और पार्क एरिया कम होता चला गया है। यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है और सबकी निगाहें इसके फैसले पर लगी हैं। स्मरणीय है कि उच्च न्यायालय सरकार से इस कालोनी का विकास प्लान कई बार तलब कर चुका है जो अभी तक उच्च न्यायालय के सामने नही आ पाया है। इस वस्तुस्थिति में यह सवाल उठना बहुत स्वभाविक है कि जब कालोनी का विकास प्लान ही रिकार्ड पर उपलब्ध नही है तो फिर प्लान के बिना यह निर्माण कार्य हो कैसे गया?

इसी दौरान इस कालोनी के एक निवासी डा. पवन बंटा ने कालोनी के ग्रीन एरिया और पार्क एरिया को हिमुडा से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। 28-7-2018 को यह जानकारी दी गयी है। इस जानकारी में ग्रीन एरिया कामन एरिया और पार्क एरिया की जानकारी दी गयी है। लेकिन इसमें स्थान तो दिखाया गया है परन्तु उसका रकबा कितना है इसको लेकर यह कहा गया है कि यह उपलब्ध नही है। इसी तरह एक जानकारी में यह बताया गया है कि फेज(तीन) के सैक्टर पांच और छ: के लिये कुल एरिया 76785.24 वर्ग मीटर अधिगृहित किया गया था। जिसमें से 25974.97 वर्ग मीटर पर हाऊसिंग प्लॉट हैं, सड़क और रास्तों के लिये 18723.55 वर्ग मीटर है, कमर्शियल एरिया 1433.37 वर्ग मीटर है औरओपन/वेस्ट लैण्ड 28841.08 वर्ग मीटर है। इस तरह विभिन्न कार्यो के लिये कुल चिन्हित ज़मीन 74972.97 वर्ग मीटर बनती है जबकि कुल अधिगृहित की गयी ज़मीन 76785.24 वर्ग मीटर है। इस तरह 1812.27 वर्ग मीटर जमीन ऐसी बच जाती है। जो किसी भी कार्य के लिये चिन्हित नही है। जबकि विभिन्न कार्यो के लिये चिन्हित और कुल अधिगृहित एक बराबर होनी चाहिये थी। यह अन्तर क्यों है और इसे किस उपयोग में लाया जायेगा इसको लेकर कुछ स्पष्ट नही किया गया है। लेकिन जब ग्रीन पार्क और कॉमन लैण्ड का रकबा ही हिमुडा के पास उपलब्ध नही है तो यह एक प्रकार से याचिका में लगाये गये आरोप की स्वीकारोक्ति ही हो जाती है।

HIMUDA
NIGAM VIHAR SHIMLA-2.

Subject: Supply of information under Right to Information Act, 2005,
Regarding details of land use in Phase-III (Kangnadhar) New Shimla
Dy.No.73 (C) dated 10/7/2018).

Kindly refer to your office U.O.No.HIMUDA-RTI (Dy.No. 73 (C / Dr.Pawan Kumar Banta/2017-18-15171-72 dated 18/7/2018 on the subject cited above. The detail of land use in Phase-III (Kangnadhar) New Shimla is as under.

1. Total land acquired in Phase-III i.e. Sector-5& 6 is - 76785.24 sqm.
2. Land under Housing (including plots) - 25974.97 sqm.
3. Road & Paths - 18723.55 sqm.
4. Commercial area - 1433.37 sqm.
5. Open land/waste land - 28841.08 sqm.

Public Information Officer is requested to take further action in the matter accordingly please.

Senior Architect(S),
HIMUDA, Shimla-2.

Public Information Officer,
HIMUDA, Shimla-2.
U.O.No.HIMUDA/Arch/RTI-Act,2005 / 2017. 16469 Dated - 1-8-18

HIMUDA
NIGAM VIHAR SHIMLA-2.

Subject: Supply of information under Right to Information Act, 2005, Regarding related Sector-I, II, III & IV New Shimla Dy.No.61 (C) dated 29/6/2018).

Kindly refer to your office U.O.No.HIMUDA-RTI (Dy.No. 61 (C / Dr. Pawan Kumar Banta/2017-18-14153 dated 3/7/2018 on the subject cited above. Following is the details of green area, common area and park area of Sector-I to Sector-IV New Shimla with location as per the available layout plan.

SECTOR-I

Green Area		Common Area		Parks	
Location	Area	Location	Area	Location	Area
Near Plot No.A-4 H.No. D-9	Not available	Near Plot No. D-22	Not available	Near Plot No. D-14 &D-17	Not available
		Near Plot No.B-42 &	Not available	Near H.No. D-35	Not available
Near Plot No.C-40	--- do----	Put. House Near Plot No. B-1	Not available	Near H.No. A-49 & A1	Not available
		Below B-7 House	Not available		
		Near H.No. A-55	Not available		
		Near H.No. C-86	Not available	Opposite C-67, & C-68(in Sector-I&II)	(Tentative area) 171.50 sqmt.(NOC given to M.C.Shimla for Park).
		Near H.No. A-91	Not available		

Issued to Dr. Pawan Kumar Banta

SECTOR-II

Green Area		Common Area		Parks	
Location	Area	Location	Area	Location	Area
Near H.No. D-1	Not available	---------	---------	Near Community Centre	Not available
				Near Block No.12.	Not available
Below H.No. 73,74 & 75	-- do--	Opposite H.No.A-6,7,8	Not available	Near Plot No.B- 36	Not available
				In front of Block No.14	Tentative area 1255 sqm. (NOC given to M.C.Shimla for Park & Parking)

SECTOR-III

Green Area		Common Area		Parks	
Location	Area	Location	Area	Location	Area
Near Plot No. C -89	Not available	Near H.No B-77 Opposite 401,402 & 403	Not available	Near Plot No. 159,160 & 161	Not available
			(Tentative area) 674.81 sqm. (NOC given to M.C. Shimla for Parking)		Tentative area 254.50 sqm. (NOC given to M.C.Shimla for Park & Parking)
		Near P.No. B-83 & Block No.21	Not available		

Issued to Dr. Pawan Kumar Banta

		Below P.No. 132 to 144	Not available		
		Near H.No. 177,178	Not available		
		Near Plot No. B-165	Not available		
		Near Plot No. A-225	Not available		

SECTOR-IV

Green Area		Common Area		Parks	
Location	Area	Location	Area	Location	Area
		Near Block No. 53	Not available	Opposite Block No. 44 & 47	Tentative area46 sqm. (NOC given to M.C.Shimla for Park)
		Near Block No. 49	Not available		

Public Information Officer is requested to take further action in the matter accordingly please.

Senior Architect(S),
HIMUDA, Shimla-2.

Public Information Officer,
HIMUDA, Shimla-2.
U.O.No.HIMUDA/Arch/RTI-Act,2005 / 2017. 16469 Dated - 24-7-18

Issued to Dr. Pawan Kumar Banta

हिमुडा और बिजली बोर्ड ने थमाये नगर निगम को नोटिस

शिमला/शैल। न्यू शिमला आवासीय कालोनी में स्थित प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय के सामने 23-7-2018 को भारी लैण्डस्लाईड हुआ है। इस लैण्डस्लाईड के कारण सीबरेज लाईन को भी खतरा हो गया है। हिमुडा ने इस लैण्डस्लाईड के लिये नगर निगम को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि यह गैंदामल हेमराज के वाणिज्यिक कम्पलैक्स को दिये सीबरेज कनैक्शन के कारण हुआ है। हिमुडा ने कहा है कि नगर निगम को 13-2-2013 को न्यू शिमला के सैक्टर पांच और छ: के तीन कार्य पूरे करने के लिये कहा गया था लेकिन नगर निगम ने गैंदामल के प्राईवेट कम्पलैक्स की सीबरेज लाईन को हिमुडा की लाईन से जोड़ दिया। जबकि हिमुडा की लाईन यहां के रहने वालों के लिये ही उपयोग होनी है। निगम ने गैंदामल की लाईन जोड़ने के लिये हिमुडा से कोई अनुमति नही ली है। इस कारण जो नुकसान हुआ है उसकी तुरन्त भरपाई की जाये।

इसी तरह नगर निगम ने न्यू शिमला के डी.ए.वी. स्कूल के सामने 11 के.वी. लाईन के नाचे पार्किंग का निर्माण कर दिया है। यह निर्माण 2010 के सी.ई.ए. रैगुलेशन के नीयम 31 की सीधी अवहेलना है। इस निर्माण से करंट के अवरूद्ध होने का खतरा हो गया है तथा कभी भी जानमाल का नुकसान हो सकता है। यह निर्माण नियमों के विरूद्ध है और इसकी कोई अनुमति नही ली गयी है। ऐसे में यदि कोई जानमाल का नुकसान हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। इस निर्माण को तुरन्त प्रभाव से गिरा दिया जाये। इसी तरह फेज(दो) के सैक्टर चार स्थित ब्लाक 50A और 50B के साथ लगते पार्क की बाहरी दीवार गिरने से वहां खड़े पेड़ के गिरने का खतरा हो गया है। यह दीवार पार्क के रखरखाव कार्य करने के कारण गिरी है। इसी कारण से इस पेड़ की जड़े खोखली हो गयी जो अब गिरने के कगार पर पंहुच गया है। हिमुडा ने नगर निगम को नोटिस भेजकर इस पेड़ को भी तुरन्त प्रभाव से काटने का आग्रह किया है। स्मरणीय है कि न्यू शिमला में नगर निगम अमृत योजना के तहत कार्य करवा रही है। लेकिन इन कार्यो की गुणवता पर लगातार सवाल उठने शुरू हो गये हैं। इन्ही सवालों के कारण बिजली बोर्ड और हिमुडा को निगम को नोटिस देने की नौबत आ खड़ी हुई है।

No. HPSEBL/SFS/C-10/2016-17-115 Dated 30/07/18

To
The Executive Engineer (R&B)
Municipal Corporation
Shimla -171001

Subject NotiSce under Regulation 61 of C E A Regulation 2010 (Measures relating to Safety & Electric Supply)

It has been reported by the Junior Engineer, Electrical section, New Shimla that your department is carrying out construction work of Parking under/beneath 11KV Khalini New Shimla overhead feeder in Ward no. 32 near D A V School New Shimla Vertical clearance from 11KV Khalini New Shimla overhead feederhas been reduced considerably by this constuction on your end, which is to contravention of Regulation 61 of C E A Regulation 2010 (Measure relating to Safety & Electric Supply). Such activity of your end cause Electruculation of human being due to reduced vertical clearance.

Keeping in view the above facts you are directed to dismantle the structure being constructed under/beneath 11KV Khalini New Shimla overhead feeder in Ward no. 32 near D A V School New Shimla which is to contravention of Regulation 61 of C E A Regulation 2010 (Measure relating to Safety & Electric Supply) forthwith failing which your department shall be held responsible for the accident if any occurs in future due to the low clearance caused due to costruction by your department.

Sd
Assistant Executive Engineer,
Electrical Sub Division HPSEBL
Khalini, Shimla

Copy of above is forwarded to the following for information and necessary action please

1. The Chief Electrcal Inspector, Govt. of H. P. Kasimpati, Shimla-9
2. The Sr. Executive Engineer, Electrcal Division, No. 1, HPSEB Ltd Shimla 171009

Sd
Assistant Executive Engineer
Electrical Sub Division HPSEBL
Khalini, Shimla

HP HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY KASUMPTI SHIMLA-9
No. HIMUDA/SSD-I/New Shimla/2018- 273-76 Dated: 30/07/18

To

The Divisional Forest Officer,
Shimla Division, Khalini,
Shimla-9

Subject: Request for granting permission for cutting of dangerous tree (likely to fall) located at Park adjoining HIMUDA Block No. 50-A & 50-B, Sector-IV, Phase-II New Shimla.

Sir,

It is brought to your kind notice that a tree in the Park adjoining Block No. 50-A & 50-B, Sector-IV, Phase-II at New Shimla has become dangerous due to collapse of the outer boundary/breast wall of this Park. It is further informed that these walls collapsed and caused uprooting of the tree during the renovation of Park being undertaken by the M.C Shimla Authorities which also included raising the height of these breast walls. The residents of the flats in front of this Park/dangerous tree has requested through Residents Welfare Association New Shimla Phase-II to get this tree removed at the earliest considering the immediate danger faced by the residents due to possible/likely fall of this tree on their Block in the persisting rains. Since HIMUDA is the owner of the land on which this dangerous tree is standing and M.C Shimla is engaged in carrying out the Municipal function in this area, it is therefore requested by the under signed to get this tree removed/permission for cutting this tree granted from the authorized committee to avoid any further loss of public propriety and human lives due to likely fall of this dangerous tree. As an immediate preventive measure this dangerous tree has been tied with rope to stop its fall on the adjoining Block.

Submitted with the hope of an early response in the matter please.

Assistant Engineer,
HIMUDA, Sub-Division No-I,
Kasumpti, Shimla-171009

Copy to:
1. The Municipal Commissioner, M.C Shimla for information and with the request to save the tree by providing proper support around this tree in order to prevent any mishap.
2. The Executive Engineer, HIMUDA Division Shimla Kasumpti Shimla-9 for information please.
3. The Residents Welfare Association Phase-I & II, Sector-IV New Shimla-9 for information please.

Assistant Engineer,
HIMUDA, Sub-Division No-I,
Kasumpti, Shimla-171009

HP HOUSING &URBAN DEVELOPMENT AUTHORITUY
NIGAM VIHAR, SHIMLA-2.
No. HIMUDA 15-260/02-S.E (S) Tech. Vol- 1585-93 Dated: 31/7/2018

From:
CEO-cum-Secretary
HIMUDA, Nigam Vihar,
Shimla-2

To
The Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla-1

Subject: **Regarding landslide occurred on dated 23.07.2018 in Phase-III Kangna Dhar New Shimla.**

On the subject cited above it is intimated that HIMUDA handed over the Sector-V, Sector-VI Phase-III B.C.S to M.C Shimla on dated 31.03.2013 vide letter No. HIMUDA/SD-III BCS-Ph-III (Part-I&II)/2012-8887-93 dated 13.02.2013 for discharging Municipal functions (under HIMUDA Act, 2004) as per detail below:-

1. Complete external sewerage system.
2. Complete external water supply system.
3. Roads, path (including R/wall, B/wall & parapets etc. Drains and X-Drainage, Steps, Signages existing external) electrifications including street lights etc.

On dated 23.07.2018 a heavy land slide occurred opposite Pollution Control Board below Block 12-A. Superintending Engineer (HIMUDA) along with Executive Engineer M.C Shimla visited the site and had taken the precautionary measures on same day.

A deputation from Sector-V New Shimla, Phase-III met with undersigned and Executive Engineer (Shimla) was directed to visited the site along with them. As per his report M.C Shimla has sanctioned a sewer connection to a private commercial complex (Gainda Mal Hemraj) to connect it's sewer line with Block No. 14 for which M.C Shimla is claiming internal sewer line of the blocks. (Plan attached as Annexure-A). It was observed by Executive Engineer (Shimla) HIMUDA and also gathered from the residents of block No. 12-A that above mentioned sewer line remains blocked and seeps in the ground. M.C Shimla has never taken permission/NOC from HIMUDA for the sanction of sewer connection for private commercial complex and connected the sewer line with HIMUDA's sewer line which is exclusively designed for the load of HIMUDA's Colony not for any extra load. As these blocked sewerage lines are creating seepage and cracks to the Retaining Walls and slide occurred just below the problem area. If the problem of seepage through Main holes/ sewer lines is not addressed timely it will lead the more hazard.

M.C Shimla is charging Property Tax from HIMUDA's residents as well as Private Commercial complex of Gainda Mal Hem Raj for discharging Municipal functions. HIMUDA does not take maintenance charges from the residents of Sec V and VI since the said colony handed over to M.C Shimla neither have funds for maintenance. It is requested to restore the damaged retaining off – sets walls of block 12-B and Block-15 also shown in site plan attached.

It is pertinent to mention here that colony was maintained by HIMUDA prior to 31.03.2013 and there was no such issue of this kind.

Keeping in view the facts stated in detail you are requested to restore the steps as well as from breast/Retaining Walls and further requested to get the blocked sewerage lines regulated as sewage from these lines is seeping in the ground continuously and damaging the retaining walls and blocks. HIMUDA is ready to give technical assistance for the restoration work.

(Er. Umesh Sharma)
CEO-cum-Secretary,
HIMUDA, Nigan Vihar, Shimla-2
Ph: 0177-2626919

Copy to:-
1. Hon'ble Mayor, M.C Shimla for kind information, please.
2. Hon'ble Councilor, Ward No. 30, M.C Shimla for kind information, please.
3. The Addl. Chief Secretary (UD) to the Govt. of H.P Shimla-2 for kind information, please.
4. The Principal Secretary (Town & Country Planning) to the Govt. of H.P Shimla-2 for kind information, please.
5. The Superintending Engineer, (South) HIMUDA, Kasumpti Shimla-9 for information and necessary action.
6. The Executive Engineer Shimla HIMUDA, Kasumpti Shimla-9 for information and necessary action.
7. The Executive Engineer, (R&B) M.C Shimla for information and necessary action.
8. President Residents Welfare Association (RWA), Sector-V, New Shimla.

(Er. Umesh Sharma)
CEO-cum-Secretary,
HIMUDA, Nigan Vihar, Shimla-2
Ph: 0177-2626919